उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

सरफेसी केस नं0–28 / 2020

शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बरोदा, कोडरमा शाखा, बनाम प्रदीप सिंह।

आदेश

शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बरोदा, कोडरमा द्वारा सरफेसी एक्ट के अन्तर्गत श्री प्रदीप सिंह, पिता–फौदार सिंह, पुरना नगर, रेलवे ब्रिज के सामने, पोस्ट–कोडरमा, जिला–कोडरमा के विरूद्ध सरफेसी वाद दायर किया गया है।

शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बरोदा, कोडरमा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रतिवादी प्रदीप सिंह, पिता–फौदार सिंह द्वारा दिनांक 31.05.2020 को कुल 4,39,262 / – (चार लाख उन्चालिस हजार दो सौ बारसठ रूपये) ऋण लिया गया था। ऋण वापसी हेतु बैंक के द्वारा कई बार नोटिस भेजा गया, परन्तु कर्जदार प्रदीप सिंह द्वारा ऋण भुगतान हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

बैंक द्वारा बंधक रखी गई खाता संख्या–154, प्लॉट संख्या–3315, 3316, रकवा 04 डी0 की भूमि का Physical Possession लेने हेतु अनुरोध किया गया है।

शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बरोदा, कोडरमा द्वारा धारा–13(2) सरफेसी एक्ट के अन्तर्गत नोटिस, धारा–13(4) के अन्तर्गत Possession नोटिस की छायाप्रति संलग्न की गई है।

आवेदन का अवलोकन कर दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत कर वाद की कार्रवाई प्रारम्भ किया गया। निर्धारित तिथि दिनांक 13.08.2020 को बैंक की ओर से अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में दिनांक 05.06.2020 को दाखिल आवेदन को रद्द करने हेतु अनुरोध पत्र समर्पित किया गया। बैंक द्वारा समर्पित आवेदन का अवलोकन किया गया। उनके अनुरोध को स्वीकृत किया जाता है।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

9/2/21

उपायुक्त,कोडरमा।

9/2/21

उपायुक्त

कोडरमा।